



9/8/16

अभिलेख उपलब्धि विभा गता ।  
 गोविंद महाराज के पञ्चायत प्रायः उक्त  
 जमानती रैयत के वंशज द्वारा जमानत  
 के उपलब्धि होकर लगभग 2 शीट वधि  
 1993 तक की दस्तावेज अति खराब  
 स्थिति में हैं, जो प्रमाण नहीं हैं, उन  
 द्वारा किसी खसम पदाधिकारी के  
 आदेशों की प्रति एवं अन्य ठीक  
 दस्तावेजों की प्रतियाँ । मालादि अति  
 कम नहीं विभा गता है, जो उनकी  
 दावे की पुष्टि करता है ।

अतः ऐसी परिस्थिति में  
 संबंधित राजस्व कार्यकारी एवं अंयत  
 निरीक्षण के प्रतिवेदन एवं अनुसंधान  
 के आधार पर उक्त जमानती के दफ्त  
 करने से अनुसंधान से जागी है ।

अंयत अति अधिकारी  
 लखनपुर

वाद अभिलेख संख्या- 224/2016 (अन्तर्गत धारा-4(b), BLR Act, 1959)

सूचना

बनाम

शुभ मती पि० एल मती  
का० बजाफ

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि भोजा- बजाफ नं०- 182  
खाता नं०- 62 खेसरा नं०- रकबा- 1.00 अर्थात् अधित आपके नाम से  
ह० नं०- के पत्नी- II भाग के प्लट पर ही जमावदी प्रथम दृष्टया  
राजस्व कर्णवारी न अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांचोपरांत सदिख प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- 9/8/16 को समय- 11:00 बजे पूर्वार्हिन में उक्त  
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, नूतन जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी  
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व  
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों को नूतन वलि/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त  
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अवोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित  
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जावेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ  
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए  
दर्ज जमावदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विनिसम्मत अनुज्ञा कर दी जावेगी।

इसे सख्त ताकीद जाने।

तिथि-  
स्थान- मुहर

अंचल अधिकारी  
बलियापुर  
22/8/16

5/8/2016

नैतिक नागिला सीमा  
- चो/० २५ एपठ बहली  
06/8/16